DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, शनिवार, 26 अक्टूबर 2024

फ्लैटों का पंजीकरण नवंबर में शुरू होगा

नई दिल्ली। डीडीए के वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके के फ्लैटों की पंजीकरण नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। छह हजार से अधिक फ्लैटों को लोग बुक करा सकेंगे। इस वर्ष डीडीए ने सस्ता घर आवासीय योजना के तहत 34,177 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों को शामिल किया है। साथ ही मध्यम वर्गीय आवासीय योजना में 5,531 फ्लैटों को शामिल किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2024 ----DATED----

हरियाली बढ़ाने में कई विभाग नाकाम

वन विभाग द्वारा सीएक्यूएम को भेजी गई एक रिपोर्ट में सच आया सामने

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली : पौधारोपण का 'लक्ष्य' भले ही कितना भी बड़ा रख लिया जाए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सभी विभाग समान रूप से गंभीर भी हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा वर्ष में कुछ विभाग जहां इस लक्ष्य को पाने में फिसड्डी साबित हुए हैं, वहीं कुछ ने रिकार्ड बना दिया है।

वन विभाग द्वारा पिछले दिनों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सौंपी गई वर्ष 2024-25 की 31 अगस्त तक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल मानसून के दौरान राजधानी में 64 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन पर्यावरण विभाग (उद्यान) और वन विभाग अपना निर्धारित लक्ष्य नहीं पा सके। पर्यावरण विभाग (उद्यान) को 1800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन एक भी पौधा नहीं लगा पाया। लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, डीएसआइआइडीसी, जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (ड्यूसिब), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली परिवहन निगम आदि भी अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं।

पौधारोपण

- पर्यावरण विभाग (उद्यान) और वन विभाग अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर सके
- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा पौधारोपण किया

दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ), दिल्ली मेट्रो रेल निगम, राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (एनटीपीसी), बीएसईएस राजधानी, एनडीपीएल, नगर निगम को भी पौधारोपण करने के अलग-अलग लक्ष्य दिए गए थे। इनमें से भी किसी विभाग ने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है।

वहीं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा पौधारोपण करने का रिकार्ड बनाया है। पालिका परिषद ने 6,12,000 की जगह 13,68,543 पौधे लगाकर 195.81 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है। वन विभाग की रिपोर्ट के बाद कई विभागों की कलई खुल गई है।

पौधारोपण लक्ष्य (2024-25)	प्राप्त लक्ष्य	(प्रतिशत में)
पर्यावरण (उद्यान)	1,800	00	00
डीटीसी	1,530	00	00
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	1,20,000	24,999	20.83
लोक निर्माण विभाग	3,96,960	11,051	27.84
दिल्ली जल बोर्ड	38,184	10,979	28.75
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	40,000	12,854	32.13
वन विभाग	20,40,000	7,89,910	39.0
दिल्ली नगर निगम	6,29,958	3,63,595	58.0
एनडीपीएल	12,000	7,500	62.50
डीएमआरसी	3000	1,924	64.13
ड्यूसिब	15,000	10, 696	71.30
डीडीए	10,20,000	7,80,951	76.56
सीपीडब्लूडी	31,800	25,522	80.25
डीएसआइआइडीसी	72,181	59,258	82.09
बीएसईएस राजधानी	36,000	33,360	92.66
एनएचएआई	84,000	78,507	93.46
शिक्षा विभाग	3,30,000	3,24,694	98.39
दिल्ली छावनी बोर्ड	12,180	23,850	195.81
एनडीएमसी	6,12,000	13,68,543	223.61

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------

संडे नवभारत टाइम्स ।
नई दिल्ली। 27 अक्टूबर 2024

विवादित प्रॉपर्टी की लीज़ 20 साल के लिए बढ़ेगी

AI Image

Prachi.Yadav@timesofindia.com

■ दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को देशबंधु गुप्ता रोड, पहाड़गंज की एक विवादित प्रॉपर्टी की लीज अगले 20 साल के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसे अराकाशन पहाड़गंज के नाम से जाना जाता था। इसी प्रॉपर्टी में कभी ऐतिहासिक शीला सिनेमा चलता था, जो अब बंद पड़ा है।

जस्टिस धर्मेश शर्मा ने डीडीए और केंद्र सरकार को देशबंधु गुप्ता रोड पर स्थित दो विवादित प्रॉपर्टी की लीज को फ्री-होल्ड में बदलने के लिए चार हफ्तों के भीतर कदम उठाने का निर्देश भी दिया है और कन्वर्जन के लिए रेट 2013 में लागू दरों के हिसाब से वसूली जाएगी।

HC ने DDA को पहाड़गंज की प्रॉपर्टी को लेकर दिया निर्देश

हाई कोर्ट ने यह फैसला उदय कौशिश की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनाया, जो विवादित प्रॉपर्टी के मालिक दुर्गा चंद कौशिश के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। केस के तथ्यों के मुताबिक, मामला देशबंधु गुप्ता रोड की 5444 वर्ग गज की जमीन की लीज से जुड़ा है। डीडीए ने इस जमीन को 1931 में कौशिश को लीज पर दिया था, जो 90 साल के लिए थी और इसे अगले 70 साल के लिए रिन्यू कराने का प्रावधान था। 1964 में डीडीए और दुर्गा चंद के बीच लीज के रेट को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अदालत ने 1967 में दुर्गा चंद के पक्ष में आदेश पारित किया। विवाद यहां भी खत्म नहीं हुआ। हालांकि, इस बीच दुर्गा चंद कौशिश का निधन हो गया और उनके वारिसों के बीच बंटवारे को लेकर मुकदमा शुरू हुआ। हाई कोर्ट ने 2009 में आदेश दिया कि विवादित प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी में बदलने की कोशिश की जाएगी, जहां शीला सिनेमा कॉम्प्लेक्स चल रहा था। आखिरकार 2012 में विवाद खत्म कर विवादित प्रॉपर्टी को दुर्गा चंद के उत्तराधिकारियों के बीच बांट दिया गया, जिन्होंने विवादित प्रॉपर्टी के कन्वर्जन के लिए डीडीए को आवेदन दिया, जिसको लेकर मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा। उसी का निपटारा इस फैसले के माध्यम से किया गया है।

कोर्ट ने डीडीए पर 2 लाख 51 हजार का हर्जाना लगाया और इस रकम को याचिकाकर्ता से कन्वर्जन चार्ज के लिए वसूले जाने वाली रकम में से काटने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि डीडीए ने अपने बचाव में जो भी तर्क दिए, वे कानून में कायम रखने लायक नहीं है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, OCTOBER 28, 2024 -----DATED----------

AAP, BJP spar over notices to slum residents

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Accusing BJP of hatching a "conspiracy" by serving notices to evict the residents of a slum cluster in east Delhi's Gandhi Nagar, AAP on Sunday said it would fight for those families.

Former deputy CM Manish Sisodia claimed that the families were living in that slum for over 90 years, but DDA served them notice to vacate the cluster within 15 days. Sisodia said it was unwarranted to evict the slum dwellers before Diwali. "These jhuggis have been home to families for over 90 years, with 2-3 generations living here. Children living here approached me and asked where they would go if their homes were taken?" Sisodia said.

In a joint statement, Union minister and East Delhi MP Harsh Malhotra, former minister Arvinder Singh Lovely, and Gandhi Nagar MLA Anil Bajpai said no slum cluster existing for more than 20 years could be vacated without prior approval from DUSIB.

"The Gandhi Nagar slum settlement is over six decades old. It is unlikely that DDA issued the notice without DUSIB's approval. Instead of misleading the slum dwellers, Sisodia should clarify why DUSIB granted permission to the land-owning agency for the demolition of the slums," the a statement said.

"If the notice was issued without DUSIB's consent, it indicates a disconnect between the department and the minister. If Delhi govt wishes to protect these slums, the minister in charge of DUSIB should call a meeting and discuss the issue. BJP will fully support it," the statement added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, सोमवार, 28 अक्तूबर 2024 ----DATED----

अदालत से | ग्रामीणों की दलील, पारिवारिक समारोह के लिए मजबूरन महंगे फार्म हाउस को किराए पर लेना पड़ रहा

सामुदायिक भवन का तत्काल निर्माण हो: हाईकोर्ट

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि असोला गांव में ग्राम सभा की जमीन पर तत्काल कब्जा लें और सामुदायिक भवन का निर्माण कराए।

उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की इस दलील को गंभीरता से लिया कि यहां के मजदूर, किसान और कम आय वर्ग के लोगों को अपने पारिवारिक समारोह के लिए मजबूरन मंहगे फार्म हाउस को किराए पर लेना पड़ता है। असोला गांव के निवासियों की तरफ से ऋषिपाल उर्फ ऋषिपाल महाशय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

सरकार ने कहा- कई पत्र जारी किए

इस मामले की सुनवाई के दौरान साकेत स्थित सब डिवीजन कार्यालय की तरफ से उच्च न्यायालय को बताया गया कि उन्होंने असोला गांव की संबंधित जमीन पर कब्जा देने के लिए दो अप्रैल, पांच अप्रैल और 13 अप्रैल 2022 को डीडीए को पत्र लिखा। हर बार दिल्ली सरकार के अधिकारी मौजूदा जगह पर पहुंचे, परंतु डीडीए की तरफ से कोई वहां नहीं आया।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह विचारणीय विषय है कि जब गांव के भीतर सामुदायिक भवन बनाने के लिए ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए यहां के निवासियों को डीडीए के समक्ष गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है। इस पर कब्जा लेने में डीडीए को क्या दिक्कत है। वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया कि संबंधित जमीन पर कब्जा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। डीडीए सीधे इस जमीन पर कब्जा ले सकता था। डीडीए की तरफ से कहा गया कि उन्हें गांव के लोगों की तरफ से कई बार पत्र मिले, लेकिन इस जमीन पर कब्जे के लिए अनुमति की जरूरत थी, जोकि नहीं मिली थी। पीठ ने कहा कि अब जबकि अदालत में यह स्पष्ट हो गया है कि इस जमीन पर डीडीए द्वारा कब्जा लिए जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है तो इस कार्य में देरी नहीं की जानी चाहिए।

आवासीय योजना के बारे में डीडीए को कॉल करें

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय योजना के अनुरूप फ्लैटों के पंजीकरण और बुकिंग को लेकर कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। फ्लैटों की सूचना प्राप्त करने के लिए डीए के कॉल सेंटर नंबर 1800110332 पर फ्लैट खरीदार कॉल कर सकते हैं।